न्यायालयः द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद,जिला भिण्ड (समक्षः पी०सी०आर्य)

दांडिक अपील कमांकः 07 / 2015 संस्थित दिनांक—10 / 06 / 2014 फाइलिंग नंबर—230303000512015

इस्लाम खां पुत्र मुलायम खां आयु 32 साल निवासी इकाहरा पुलिस थाना मालनपुर परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

<u>....अपीलार्थी / आरो</u>पी

वि क्त द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा–आरक्षी केन्द्र मालनपुर जिला–भिण्ड (म०प्र०पत्यर्थी / अभियोगी

> राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक। आरोपी/अपीलार्थी द्वारा श्री आर०पी०एस० गुर्जर अधिवक्ता।

न्यायालय—सुश्री शैलजा गुप्ता, जे०एम०एफ०सी०, गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण कमांक— 319/2006 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 15/05/2014 से उत्पन्न दांडिक अपील ।

—::— <u>निर्णय</u> —::— (आज दिनांक **20/12/2016** को खुले न्यायालय में घोषित)

- 1. अपीलार्थी / आरोपी की ओर से उक्त दाण्डिक अपील धारा—374 द0प्र0सं० 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद सुश्री शैलजा गुप्ता द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 319 / 2006 निर्णय दिनांक—15 / 05 / 14 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी / अपीलार्थी को भा०द०वि० की धारा—71 एवं द०प्र०सं० की धारा—220 के प्रावधानों के तहत धारा—279 के अपराध में प्रथक से दण्डित न करते हुए धारा—337 भा०द०वि० के अपराध के लिए छः माह के सश्रम कारावास एवं 500 / —रूपए अर्थदण्ड तथा धारा—304 (ए) भा०दं०वि० के अपराध के लिए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 / —रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था।
- 2. प्रकरण में यह निर्विवादित है, कि तथ्य है, कि प्रकाश को रामप्रकाश के नाम से भी जानते थे जो साक्षी नाथूराम अ0सा0-04 का पुत्र था, यह भी स्वीकृत है, कि मृतक प्रकाश की मृत्यु ट्रेक्टर ट्रॉली के पलटने के कारण उससे दबकर घटनास्थल पर हुई थी, और उसका पिता नाथूराम भी आहत हुआ था। प्रकरण में यह भी निर्विवातिद है, कि ए०एस०आई रबूदीसिंह की भी

वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है, जिसके कारण वह साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं हुआ है।

- 3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक—15/03/06 को शाम 07:00 बजे के करीब नाथूराम जाटव के ट्रेक्टर से भाडे से कालीचरण की ईटें भरकर ट्रेक्टर चालक ग्राम लहचूरा जा रहा था, ट्रेक्टर कमांक एम0पी0—07—ए—2532 के चालक ने ट्रेक्टर को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर ट्रेक्टर को पलट दिया, जिससे नाथूराम का लडका प्रकाश जो ट्रेक्टर के मडगाड पर बैठा था, ट्रेक्टर के पलटने से उसके नीचे दबकर खत्म हो गया, नाथूराम भी ट्रेक्टर पर बैठा था उसे भी चोटें आई थीं, तब गांव के कोटवार किशोरीलाल धानुक द्वारा घटना की मौखिक सूचना थाना मालनपुर को दी गई।
- 4. कोटवार किशोरीलाल धनुक की उक्त मौखिक सूचना पर से थाना मालनपुर के 04/06 धारा—174 दं0प्र0सं0 पर मर्ग इंटीमेशन लेखबद्ध कर, अपराध कमांक 33/06 दर्ज कर प्र0पी0—01 की एफ0आई0आर0 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया, विवेचना के दौरान आहत नाथूराम का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया एवं मृतक प्रकाश का शवपरीक्षण कराया गया, तथा दिनांक 16/03/16 को फरियादी किशोरीलाल की निशांदेही पर प्र0पी0—02 का नक्शा मौका तैयार किया गया, तथा उक्त दिनांक को घटनास्थल से ट्रेक्टर कमांक एम0पी0—07—ए—2532 को मय ट्रोली जब्त कर जब्तीपंचनामा प्र0पी0—06 बनाया, दं0प्र0सं की धारा—161 के तहत साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर, दिनांक 16/04/06 को आरोपी इस्लाम खां को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार कर जब्तशुदा वाहन की मैकेनिकल जांच कराई गई, एवं समस्त अवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे0एम0एफ0सी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 5. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा—279, 337 एवं 304—(ए) भा०दं०वि के तहत अपराध विवरण तैयार कर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपों से इंकार किया, उसका विचारण किया गया। विचारणोपरांत अपीलार्थी को भा०द०वि० की धारा—71 एवं द०प्र०सं० की धारा—220 के प्रावधानों के तहत धारा—279 के अपराध में प्रथक से दण्डित न करते हुए धारा—337 भा०द०वि० में छः माह के सश्रम कारावास और व 500/—रूपये अर्थदण्ड एवं धारा—304 (ए) भा०दं०वि० में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था, जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।
- 6. अपीलार्थी / आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गए अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया गया है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है और विधि विधान के

विपरीत निर्णय पारित कर दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा अधिरोपित की है, जबिक रिपोर्ट अज्ञात में की गई थी, रिपोटकर्ता किशोरीलाल ने दुर्घटना नहीं देखी, न ही वह चक्षुदर्शी साक्षी है, जबिक मृतक के पिता नाथूराम और भाई कमलेश के द्वारा किशोरीलाल के द्वारा किशोरी लाल को आरोपी/अपीलार्थी का चालक होना बताया जाना कहा है, जिसका किशोरी लाल ने कोई समर्थन नहीं किया है और ध ाटना का चक्षुदर्शी साक्षी नरेश और कालीचरण ने भी कोई समर्थन नहीं किया है और वह पक्षविरोधी रहे हैं, मृतक का भाई कमलेश बनावटी साक्षी है, तथा पिता नाथूराम ने हितबद्धता के कारण असत्य साक्ष्य दी है, जिसका विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने सही मुल्यांकन नहीं किया है और पुलिस को बयान देने तक से इन्कार किया है, वास्तविकता में जिस ट्रेक्टर से दुर्घटना हुई वह मृतक के पिता नाथुराम का था और मृतक स्वयं उसे चला रहा था, तथा वह ट्रेक्टर मृतक के पिता नाथूराम ने आरोपी / अपीलार्थी से खरीदा था, जिसके 40,000 / – रूपए नाथूराम के पास शेष थे, जो नाथूराम देना नहीं चाहता है, इसी कारण उसने थाना मालनपुर के ए०एस०आई० रबूदीसिंह से मिलकर साठगांठ करके झूठा मामला बना दिया है, इसलिए दाण्डिक अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा को अपास्त कर आरोपी / अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जावे।

- 7. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु
- 1— "क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी / आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है, यदि हां तो क्या आलोच्य दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा अपास्त किए जाने योग्य है ?
- 2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

-:- <u>निष्कर्ष के आधार</u> -:-

- 8. उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का विश्लेषण एवं निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति और सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
- 9. . आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने विस्तृत अंतिम तर्कों में मूलतः यह आधार बताया है, कि आरोपी/अपीलार्थी मजदूर व्यक्ति है, ड्रायविंग नहीं करता है, और घटना दिनांक को भी ड्रायवर नहीं था, अभियोजन ने जिस ट्रेक्टर ट्रॉली से दुर्घटना बताई है, उस ट्रेक्टर ट्रॉली को स्वयं स्वयं मृतक चला रहा था, जो मृतक के पिता नाथूराम के स्वामित्व, आधिपत्य की थी, क्योंकि ट्रेक्टर को नाथूराम ने 70,000/—रूपए में लक्ष्मीनारायण पुजारी निवासी ग्राम पिछोर जिला ग्वालियर से खरीदा था, जिसके 50,000/—रूपए शेष थे, जो न देना पड़े इसलिए नाथूराम ने तत्समय थाना मालनपुर में पदस्थ रहे ए

०एस०आई रबूदी सिंह जो नाथूराम की बिरादरी का था, उससे सांठगांठ करके झूठा मामला बनावा दिया इसलिए घटना की रिपोर्ट स्वयं नाथूराम व उसके लडके कमलेश ने नहीं की बल्कि ग्राम कोटवार किशोरीलाल से कराई और किशोरीलाल ने घटना देखने से इन्कार किया है, किशोरी लाल घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, इससे भी मामला संदिग्ध हो जाता है, तथा नाथूराम अ०सा०–०४ और उसका पुत्र कमलेश अ०सा०–०५ मृतक के परिजन होकर हितबद्ध साक्षी हैं, जिन्होंने हितबद्धतापूर्ण कथन किए है, जिनका विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उचित मूल्यांकन नहीं किया है और उनकी साक्ष्य को विश्वसनीय मानने में विधिक त्रुटि की है, स्वयं नाथूराम के मुताबिक कालीचरण ईंट वाला भी साथ में बताया है, कालीचारण अ०सा०–०७ ने घटना का समर्थन नहीं किया है, तथा बताए गए चक्षदर्शी साक्षी नरेश अ०सा०–०६ ने भी घटना का कोई समर्थन नहीं किया है, जिससे मामला दूषित था, आरोपी / अपीलार्थी के द्वारा झूंठा फंसाए जाने के संबंध में तत्समय ही एस0पी0 भिण्ड को लिखित शिकायत प्र0डी0–01 की, की गई थी, और डाक से भी शिकायतें भेजी गईं थीं, जिसके संबंध में स्वयं आरोपी / अपीलार्थी इस्लाम खां ने धारा—315 दं०प्र०सं० के तहत अपना कथन विचारण न्यायालय में दिया था, लेकिन उस पर और आरोपी/अपीलार्थी की ओर रसे प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय विधि विधान के विपरीत होकर दूषित है, इस कारण से दाण्डिक अपील को स्वीकार किया जाकर आरोपी/अपीलार्थी को दोषसिद्ध अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाए।

- 10. विद्वान ए०जी०पी० द्वारा आरोपी आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का विरोध करते हुए अपने तर्कों में यह बताया है, कि घटना के समय नाथूराम ट्रेक्टर पर था और वह स्वयं भी आहत हुआ है, तथा कमलेश साइकिल से पीछे—पीछे आ रहा था, ऐसे में उक्त दोनों साक्षी मृतक के पिता और भाई अवश्य हैं, किंतु इस आधार पर उन्हें अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वह मौके पर थे और दुर्घटना होने से किसी भी साक्षी ने इन्कार नहीं किया है, मेडीकल साक्ष्य और मैकेनिकल साक्ष्य से दूर्घटना की पुष्टि होती है, आरोपी/अपीलार्थी की ओर से जो बचाव के आधार लिया गया है, वह मामला पंजीबद्ध हो जाने के पश्चात सोच समझकर बचाव के रूप में लिया है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्य का उचित मूल्यांकन कर विधि अनुरूप निर्णय किया है और प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल नहीं है, इसलिए दाण्डिक अपील निरस्त की जावे।
- 11. दाण्डिक अपील के संबंध में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए विश्लेषण करना चाहिए जैसा कि न्याय दृष्टांत एम0पी0 विरुद्ध बल्लोर उर्फ रामगोपाल 2006 भाग—1 म0प्र0 विधि भास्वर (एस0सी0) में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसलिये हस्तगत दाण्डिक अपील के विचारण के दौरान अभिलेख पर आई अभियोजन साक्ष्य का सम्यक रूप से मूल्यांकन व

विश्लेषण करना होगा और यह निष्कर्षित करना होगा कि क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि विधि और तथ्यों के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है अथवा नहीं।

- 12. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय का अध्ययन किया गया, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर आई अभियोजन और बचाव पक्ष की साक्ष्य का अवलोकन किया गया विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय मुताबिक आरोपी / अपीलार्थी इस्लाम खां को धारा—279, 337 और 304ए भा0द0वि0 के आरोपों में दोषसिद्ध करते हुए धारा—71 भा0द0वि0 एवं 220 दं0प्र0सं0 के तहत धारा—279 भा0द0वि0 में प्रथक से दण्डित न कर धारा—337 भा0द0वि0 के अपराध के लिए आहत नाथूराम के लिए छः माह सश्रम कारावास और 500 / —अर्थदण्ड से एवं मृतक प्रकाया के संबंध में धारा—304ए भा0द0वि0 के लिए एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है, जिसे प्रस्तुत दाण्डिक अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है, इसलिए जो आधार अपीला ज्ञापन में उठाए गए हैं और जो तर्कों के माध्यम से प्रस्तुत किए है, उनके आलोक में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निकाला गया निष्कर्ष की विधेयी मान्यता के बारे में विचार करने की आवश्यकता हो जाती है,।
- 13. यह सही है, कि सही है, कि बचाव साक्षी को भी अभियोजन साक्षी की तरह ही मूल्यांकन में लिए जाने की विधि है, इसलिए आरोपी/अपीलार्थी द्वारा ब०सा०—01 के रूप में दिए गए को अन्य साक्षियों की भांति ही विश्लेषण में लेना होगा, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी आरोपी/अपीलार्थी के बचाव साक्षी के रूप में दिए गए कथनों को आलोच्य निर्णय में निष्कर्ष निकालने में समाहित किया है, जैसा कि आलोच्य निर्णय की कण्डिका 13 एवं 14 में उल्लेख किया गया है।
- 14. सर्वप्रथम अभिलेख पर आई चिकित्सकीय साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाए तो प्रकरण में मृतक प्रकाश पुत्र नाथूराम का शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक के0एन0 शर्मा अ0सा0—08 ने यह बताया है, कि दिनांक 16/03/06 को सी0एच0सी0 गोहद में उसके द्वारा मेडीकल ऑफीसर रहते हुए मृतक प्रकाश का शवपरीक्षण किया था, जिसके शरीर में मृत्यु पश्चात की अकडन थी, और पीठ में मृत्यु पश्चात की निलिमा थी, बाये कान से खून निकल रहा था, बाएं तरफ का सिर चपटा था, खोपडी की हड्डी के अग्र भाग एवं बाए जबडे में अस्थि भंजन था और खून के थक्के उपस्थित थे, बाए तरफ का पंजा अंदर की तरफ फटा हुआ था, दाईं तरफ लीबर रीजन खरोंच तथा बाएं हाथ पर खरोच थी, मित्तिष्क में खून के थक्के थे, मृतक की चोटें मृत्यु पूर्व की थी और प्राणघातक थीं और शवपरीक्षण से 24 घंटे के भीतर की थी, जो मित्तरक में आई चोट के कारण हुई थी, जिसकी उसने प्र0पी0—08 की शवपरीक्षण की रिपोर्ट तैयार की थी, उक्त चिकित्सक ने पैरा—03 में मृतक की चोटें वाहन पलटने पर गिरने या गाडी चलते समय दब जाने से आने की संभावना व्यक्त की है।

- 15. इस प्रकार से अभिलेख पर मृतक प्रकाश के संबंध में जो चिकित्सकीय साक्ष्य आई है, उससे मृतक की चोटें दुर्घटनात्मक स्वरूप की संभव है, और मृत्यु का प्रकार दुर्घटनात्मक होना परिलक्षित होता है, अभियोजन के कथानक में भी ट्रेक्टर के पलटने पर उसके नीचे दब जाने के कारण मृत्यु बताई गई है।
- प्रकरण में दुर्घटनाकारी बताए गए ट्रेक्टर ट्रोली जिसे प्र0पी0-06 16. मुताबिक घटनास्थल से बरामद करना बताया गया है, और उसकी मेकेनिकल जांच करने वाले आरक्षक चालक रामकरन शर्मा अ०सा०–०३ ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 29/04/06 को थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 33/06 में जब्तश्रदा ट्रेक्टर क्रमांक एम0पी0-07-ए-2532 की मैकेनिकल जांच करना बताते हुए यह कहा है, कि ट्रेक्टर ट्रांसिमिशन सिस्टम में पिछले दाहिने पहिए के काउन के पास से एक्सल टूटा हुआ था, आगे का बाईं तरफ का टायर फटा था, बोनट पिचका था, इंजन चलने लायक नहीं था, जिसकी उसने प्र0पी0–03 की जांच रिपोर्ट तैयर की थी, उक्त साक्षी का प्र0पी0–03 के संबंध में दिया गया अभिसाक्ष्य अखण्डनीय रहा है, प्र0पी0–03 मुताबिक उक्त ट्रेक्टर एच0एम0टी0 लाल रंग की मेकेनिकल जांच घटना के चार दिन बाद हुई है, जिसे घटनास्थल से घटना के अगुले दिन क्षतिग्रस्त हालत में बरामद करना बताया गया है, मैकेनिकल जांच रिपोर्ट में उल्लेखित बिन्दुओं से ट्रेक्टर पर दुर्घटना के चिन्ह मौजूद थे, इसलिए यह देखना होगा कि क्या उक्त जब्तशुदा ट्रेक्टर से दुर्घटना घटी और क्या आरोपी / अपीलार्थी के द्वारा ही उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से वाहन चलाकर टेक्टर ट्रोली को पलटकर दुर्घटना की जिससे ट्रेक्टर के मडगाड पर बैठे मृतक के दब जाने से मृत्यु हुई।
- 17. मृतक प्रकाश की मृत्यु ट्रेक्टर के पलटने और उसमे दब जाने से होने का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं है, बल्कि बचाव पक्ष के द्वारा मूल आधार यह लिया गया है, कि ट्रेक्टर ट्रोली को स्वयं मृतक चला रहा था, ट्रेक्टर मृतक के पिता के स्वामित्व का था, जिसने आरोपी/अपीलार्थी से खरीदा था, जिसकी कुद राशि रह गई थी, और उसी राशि के विवाद पर से झूठा अभियोजित कराया गया है, यह अन्य साक्षियों के अभिसाक्ष्य से परिस्थितियों के आधार पर मृत्यांकित करना होगा।
- 18. रिपोर्टकर्ता किशोरीलाल जो कि घटना के समय ग्राम लहचूरा का कोटवार था, उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह तो कहा है, कि घटना होते हुए उसने स्वयं नहीं देखी लेकिन इस बात की वह पुष्टि करता है, कि लहचूरा से मालनपुर के रास्ते में पुलिया पर उसे बुलवाया गया था, तब उसने देखा था, कि रोड के किनारे प्रकाश की लाश पड़ी थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था, वहां काफी लोग थे, तथा मौके पर ही ट्रेक्टर खंती में उल्टा पड़ा था, ट्रोली भी थी। वहां खड़े लोगों ने बताया था, कि इसी ट्रेक्टर से दबकर प्रकाश की मृत्यु हुई है, और कोटवार के नाते उसने घटना की थाने पर जाकर प्र0पी0-01 की रिपोर्ट की थी, उसके मुताबक ट्रेक्टर नाथूराम का था, उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य में और कोई

तथ्य नहीं आया है, उसके अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट होता है, कि वह मौके पर दृष्ट टिना के बाद पहुंचा और उसने मृतक की लाश को मय ट्रेक्टर ट्रोली के मौके पर देखा और कोटवार के नाते उसने रिपोर्ट की प्र0पी0-01 की एफ0आई0आर0 में दुर्घटनाकारी ट्रेक्टर के क्रमांक एम0पी0-07-ए-2532 का उल्लेख स्पष्ट रूप से है, लेकिन दुर्घटना के समय कौन चला रहा था, यह एफ0आई0आर0 में नहीं लिखाया गया, इस बात का उल्लेख भी है, कि ट्रेक्टर चालक ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चला रहा था, जिससे ट्रेक्टर पलट गया, जिसमें दबकर प्रकाश की मृत्यु हुई और नाथूराम भी ट्रेक्टर पर था, इससे यह अर्थ निकलता है, कि रिपोर्ट अज्ञात ट्रेक्टर के खिलाफ नहीं है, बल्कि ट्रेक्टर का क्रमांक स्पष्ट आया है, चालक कौन था, यह रिपोर्टकर्ता को मालूम नहीं पड़ा क्योंकि उसे नाथूराम मौके पर नहीं मिला, बचाव पक्ष की ओर से किया गया यह तर्क कि मृतक के पिता या भाई के द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखाई गई और कोटवार से लिखवाई इससे मामला संदिग्ध है, इसे ग्राह्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उक्त दुर्घटना में नाथूराम भी आहत हुआ था, जिसकी पृष्टि डॉक्टर के०एन० शर्मा अ०सा०–०८ के अभिसाक्ष्य से होती है, जिसने नाथूराम की चोटों का भी परीक्षण दिनांक 16/03/06 को करना और उसके शरीर में खरोंच नीलगू और दर्द की शिकायतें पाईं थी, जिसकी प्र0पी0–09 की मेडीकल रिपोर्ट तैयार की थी और नाथ्राम की चोटें भी गिरने पर आनी संभावित बताई है, अर्थात नाथूराम भी उक्त दुर्घटना का शिकार हुआ था और उसे साधारण उपहतियां आईं थीं, प्र०पी०–०९ के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है, कि उसके शरीर में जिस अंग में दर्द की शिकायत पाई गई थी, उसके एक्स-रे परीक्षण की सलाह भी प्रकृति जानने के लिए दी गई, हालांकि एक्सरे रिपोर्ट अभिलेख का अंग नहीं है, किंत्र प्र0पी0–09 के अवलोकन से उक्त दुर्घटना में नाथूराम का भी आहत होना प्रमाणित होता है, ऐसे में नाथूराम उक्त मामले के लिए सर्वाधिक महत्व का साक्षी हो जाता है, चूंकि वह मृतक का पिता भी है और स्वयं भी आहत है, तथा उस पर आरोपी/अपीलार्थी की ओर से ट्रेक्टर के लेनदेन पर से रूपयों का विवाद भी बताया गया है, जैसा कि स्वयं आरोपी / अपीलार्थी इस्लाम खां ने ब0सा0–01 के रूप में अपने अभिसक्ष्य में बताया है और प्र0डी0-01 की शिकायत भी की, ऐसे में नाथूराम की अभिसाक्ष्य का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है।

19. दुर्घटना की रिपोर्ट कोटवार द्वारा लिखाए जाने के आधार पर संदेह इसलिए नहीं मान जा सकता है, क्योंकिं नाथूराम अ0सा0—04 ने अपने अभिसाक्ष्य में ट्रेक्टर के एक मडगाड पर स्वयं का बेठना और दूसरे पर अपने पुत्र मृतक प्रकाश का बेठना बताया है, तथा स्वयं का चोटिल होना भी कहा है, मेडीकल होना भी बताया है, ईंट वाले कालीचरण की भी उपस्थिति बताई है, उसके पुत्र कमलेश अ0सा—05 ने रिपोर्ट के लिए स्वयं का न जाना और कोटवार किशोरीलाल को भेजने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है, कि वे थाने पर नहीं गए थे, किशोरीलाल को भेजा था, और वे भाई के पास रूके थे, और भाई के खत्म हो जाने के कारण वे रो रहे थे, उनकी आवाज सुनकर किशोरीलाल आ गया था, और रिपोर्ट को गया था, किशोरीलाल ने आरोपी/अपीलार्थी को ट्रेक्टर चलाते समय नहीं देखा था, लेकिन उसने और उसके पिता ने किशोरी लाल को यह

बता दिया था, कि ट्रेक्टर इस्लाम चला रहा था, यह स्वभाविक है, कि यदि किसी का पुत्र या भाई दुर्घटना में फौत हो जाता है, तो उनका मृतक के पास रंज की स्थिति में रह जाना अस्वभाविक नहीं है और दुर्घटना की रिपोर्ट कोई भी व्यक्ति पुलिस को दे सकता है, ऐसे में कोटवार द्वारा रिपोर्ट लिखवाई जाना से कोई अवैधानिकता नहीं मानी जा सकती है, कमलेश अ०सा0—05 ने किशोरी लाल को ट्रेक्टर चलाने वाले का नाम बता देना कहा है, किंतु किशोरी लाल अ०सा0—01 के अभिसाक्ष्य में उसका नाम नहीं आया, न ही इस बिन्दु पर कोई स्पष्टीकरण किशोरीलाल से लिया गया, कि उसे ट्रेक्टर चालक नाम मृतक के पिता या भाई ने बताया या नहीं बताया, ऐसे स्पष्टीकरण के अभाव में किशोरी लाल को मृतक के पिता और भाई द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में विसंगतिपूर्ण अभिसाक्ष्य होना अपधारित नहीं किया जा सकता है।

- 20. समई लाल अ०सा०-०२ ने अपने अभिसाक्ष्य में दुर्घटना के बारे में यह बताया गया है, कि वह अपने खेत में पानी दे रहा था, तब ट्रोली पलट जाने की आवाज उसने सुनी थी, और जाकर देखा था, तो रोड के बगल से प्रकाश की लाश देखी थी, और ट्रेक्टर पलटा हुआ था, गांव के लोग मौके पर मौजूद थे, मृतक का पिता भी था, ट्रेक्टर कौन चला रहा था, यह उसने नहीं देखा। उक्त साक्षी से भी दुर्घटना की पुष्टि और उसमें प्रकाश की मृत्यु हो जाने की पुष्टि अवश्य होती है, चालक के बारे में चूंकि वह दुर्घटना के बाद पहुचा, ऐसे में ट्रेक्टर कौन चला रहा था, यह उसके अभिसाक्ष्य मे नहीं आना अभियोजन की के लिए हातक नहीं माना जा सकता है।
- 21. अभियोजन के मुताबिक घटना के अन्य दो चक्षुदर्शी साक्षी नरेश अ०सा०–०६ और कालीचरण अ०सा०–०७ बताए गए है, और कथानक मुताबिक ६ ाटना के समय ट्रोली में कालीचरण की ईंटें भरकर ले जाई जा रहीं थीं, नरेश और कालीचरण ने अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में पक्षविरोधी होते हुए घटना का समर्थन नहीं किया है, नरेश ने प्र0पी0–06 और कालीचरण ने प्र0पी0–07 का कथन भी पुलिस को देने से इन्कार किया है, दुर्घटना के समय इस्लाम खां ट्रेक्टर को तेजी और लापरवाही से चला रहा था, तथा मंडगांड पर एक तरफ नाथुराम और एक तरफ मृतक प्रकाश बैठा था और पुलिया के पास ट्रेक्टर को पलटा दिया जिससे ट्रेक्टर के पालटने से प्रकाश की दबकर मृत्यु हो गई, उक्त दोनों ही पक्षविरोधी साक्षियों ने घटना के बारे में कोई जानकारी होने से इन्कार किया है, ऐसी स्थिति में जबकि कालीचरण की उपस्थिति मृतक के पिता और भाई के द्वारा बताई गई है, ऐसे में अ0सा0-04 और अ0सा0-05 के अभिसाक्ष्य का दुर्घटनाकारी ट्रेक्टर के चालक के संबंध में सूक्ष्मता से विश्लेषण अपेक्षित हो जाता है, किंत् जहां तक आरोपी / अपीलार्थी के द्वारा ब0सा0–01 के रूप में दिए गए अभिसाक्ष्य का प्रश्न है, जिसमें वह नाथुराम से ट्रेक्टर के खरीद बिक्रय के लेनदेन पर 40,000 / –रूपए की राशि का विवाद बताता है, प्र0डी0–01 की जो शिकायत की गई है, उसमें 50,000 / — रूपए का विवाद बताया है और मृतक द्वारा ही ट्रेक्टर को चलाना और मृतक की गलती से ही दुर्घटना होने की साक्ष्य दी है, किंतु इस बारे में कोई भी साक्ष्य नहीं है, जो कि दुर्घटना के समय मृतक के द्वारा

ट्रेक्टर को चलाया जाना बताता हो, बल्कि ब0सा0—01 के रूप में दिए कथनों में आरोपी/अपीलार्थी का ऐसा भी कहना रहा है, कि उसकी मां नाथूराम से पैसे मांगने गई थी, तो नाथूराम ने उक्त तो नाथूराम ने उक्त केश लगवा दिया और दुर्घटना दिनांक या कभी भी उसने ट्रेक्टर नहीं चलाया क्योंकि वह ट्रेक्टर चलाना जानता ही नहीं है, न ही उसके पास ट्रेक्टर ट्रोली है, तथा जब उसकी मां नाथूराम से पैसे मांगने गई थी, तब कोई लिखापढी नहीं हुई थी।

- 22. ब0सा0–01\ के रूप में दिए गए अभिसाक्ष्य को देखें और प्र०डी०–01 के शिकायती आवेदन को देखा जाए तो आरोपी/अपीलार्थी ट्रेक्टर को एंजेंसी से 37,000 / – रूपए में डेढ वर्ष पूर्व खरीदना बताता है और 70,000 / – रूपए में नाथराम को बेचना कहता है, प्र0डी0–05 के रूप में ट्रेक्टर का जो रजिस्ट्रेशन पेश किया है, उसके मुताबिक ट्रेक्टर का स्वामी लक्ष्मीनारायण पजारी था. आरोपी / अपीलार्थी ने खरीदा हो ऐसा प्रमाण नहीं है. मौखिक साक्ष्य में आरोपी / अपीलार्थी ने पांच-छः महीने ट्रेक्टर को अपने आधिपत्य में रखना और स्वयं की व भाड़े की खेती करना भी बताता है, जबकि एक ओर उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, न उसे ट्रेक्टर चलना आता है, ऐसे में यदि आरोपी/अपीलार्थी का ट्रेक्टर चालक होना प्रमाणित हो जाता है, तो वाहन उपेक्षपर्वक या उतावलेपन से चलाया गया यह अपने–आप ही प्रमाणित होगा. जबिक उसके अभिसाक्ष्य से तो यही प्रकट होता है, कि वह ट्रेक्टर चलाता रहा होगा, जबकि उसके पास ट्रेक्टर चलाने का कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, ऐसे में प्र0डी0—01 के शिकायती आवेदन के तथ्य स्वयं आरोपी/अपीलार्थी के ब0सा0-01 के रूप में दी गई मौखिक साक्ष्य से खण्डित हो जाती है, ऐसे में प्र०डी०-01 पर और ब0सा0-01 के रूप में दिए गए अभिसाक्ष्य पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विश्वास न कर कोई विधिक त्रृटि नहीं की है, ऐसे में आलोच्य निर्णय की कण्डिका-14 में निकाला गया निष्कर्ष उक्त स्थिति में पुष्टि योग्य हो जाता है और यह मानने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, कि दुर्घटना के समय मृतक ही ट्रेक्टर को चला रहा हो।
- 23. मृतक के पिता नाथूराम अ०सा०-04 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है, कि मालनपुर से ईटें भरकर लहचूरा की तरफ ट्रेक्टर ट्रोली से वह रहा था, उसका लडका रामप्रकाश उर्फ प्रकाश साथ में था और वे दोनों मडगाडपर बेठे थे, इस्लाम खां ट्रेक्टर चला रहा था और तेजी व लापरवाही से चला रहा था, उसका दूसरा लडका साइकिल से पीछे-पीछे आ रहा था, गंगाराम की तिवरिया पर पुलिया पर जब वे पहुंचे थे, तो गड़डे में ट्रेक्टर को पलट दिया था, उसने इस्लाम को ट्रेक्टर धीरे चलाने को भी कहा था, किंतु वह नहीं माना, ट्रेक्टर के पहिए के नीचे आ जाने से उसके पुत्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, तब दुसरा लडका कमलेश भी पीछे से आ गया था, पुलिस मौके पर आई थी, पुलिस ने सफीना फार्म प्र0पी0-04, लाश पंचायत नाम प्र0पी0-05 और ट्रेक्टर की जब्ती की प्र0पी0-06 की कार्यवाही की थी, ऐसा ही कमलेश अ०सा0-05 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में बताते हुए नाथूराम की पुष्टि की है, दोनों ने इस बात से इन्कार किया है, कि दुर्घटना के समय मृतक प्रकाश ही ट्रेक्टर को चला रहा हो और

उसकी गलती से ट्रेक्टर पलट गया हो, बिल्क कमलेश ने तो यहां तक कहा है, कि ट्रेक्टर फुल रेश में चल रहा था, ट्रेक्टर के पीछे वह भी साइकिल से फुल रेश में आ रहा था और ट्रेक्टर पलटने के समय वह ट्रेक्टर से 20 कदम पीछे था, दोनों ने कालीचरण की उपस्थिति स्वीकार की है, जो ईंट वाला था, हालांकि कालीचरण ने कोई समर्थन नहीं किया है, किंतु जिस प्रकार से नाथूराम की अभिसाक्ष्य है, और ट्रेक्टर के पीछे ही आने की पुष्टि कमलेश अ०सा०–05 से भी हुई है, उससे अ०सा०–04 और अ०सा०–05 की अभिसाक्ष्य हितबद्धतापूर्ण नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि नाथूराम स्वयं भी घटना में आहत था।

- 24. बचाव पक्ष की ओर से यह भी आधार लिया गया है, कि थाना मालनपुर में तत्सयम पदस्थ रहे ए०एस०आई० रबूदीसिंह नाथूराम की बिरादरी का था, उससे रिश्तेदारी थी, जिससे सांठगांठ करके ट्रेक्टर के बाकी रूपए न देने पडे इसलिए झूठी रिपोर्ट कर दी, इस आधार में कोई विधिक बल नहीं है, क्योंकि अ0सा0–04, अ0सा0–05 दोनों के ही अभिसाक्ष्य में यह आया है, कि रबूदीसिंह ने उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है और घटना के पहले वे जानते भी नहीं थे, स्वयं आरोपी/अपीलार्थी ने अपने अभिसाक्ष्य में आक्षेप तो किया है, किंतू स्वयं उसे भी यह जानकारी नहीं है, कि मृतक के पिता नाथूराम और ए०एस०आई रबूदीसिंह की क्या रिश्तेदारी है, ऐसे में बचाव पक्ष का उक्त आधार बेब्नियाद हो जाता है और अ०सा०–०४ एवं अ०सा०–०५ की अभिसाक्ष्य स्वभाविक स्वरूप की मौके के 🖣 साक्षी के रूप में है, मृतक के पिता और भाई होने के आधार पर उनके अभिसाक्ष्य को त्यागा नहीं जा सकता है, ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नाथराम अ०सा०—०४ और कमलेश अ०सा०—०५ के अभिसाक्ष्य को विश्वसनीय मानने में कोई विधिक त्रृटि नहीं की है और आलोच्य निर्णय की कण्डिका 11 एवं 12 का निष्कर्ष पृष्टि योग्य हो जाता हैं।
- 25. प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई चुनौती नहीं दी गई है, कि प्रकाश की मृत्यु जब्तशुदा ट्रेक्टर के पलटने से दबकर हुई जैसा कि अभियोजन का आधार है, ऐसी स्थिति में अ0सा0—06 और अ0सा0—07 के पक्षविरोधी हो जाने से अ0सा0—04 और अ0सा0—05 को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, जिनके अभिसाक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह के परे दुध् दिनाकारी ट्रेक्टर ट्रोली का चालक आरोपी/अपीलार्थी ही होना स्पष्ट होता है, जिसे वाहन चलाने की अधिकारिता वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के अभाव में नहीं थी, ऐसे में वाहन चलाना स्वमेव ही उतावलेपन का धोतक हो जाता है, ऐसे में ब0सा0—01 के रूप में जो बिन्दु उदाए गए है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- 26. इस प्रकार से उपरोक्त समग्र साक्ष्य तथ्यों, परिस्थितियों का सूक्ष्मतापूर्वक किए गए विश्लेषण के आधार पर युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित होता है, कि दिनांक 15/03/06 को शाम करीब 7:00 बजे लहचूरा रोड पर आरोपी/अपीलार्थी इस्लाम खां द्वारा ट्रेक्टर क्रमांक एम0पी0-07-ए-2532 जिसके साथ ट्रोली भी लगी थी, उसे लोक मार्ग पर

उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर पुलिया के पास पलट दिया, जिससे ट्रेक्टर पर बेठे प्रकाश की दब जाने से मृत्यु हुई और नाथूराम को साधारण उपहतियां कारित हुई, फलतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को धारा—279, 337 एवं 304(ए) भा०द०वि० में दोषसिद्ध करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है, अतः दोषसिद्धि के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन पाते हुए निरस्त की जाती है।

- 27. जहां / तक / बिन्दु कमांक ०२ का प्रश्न है, आरोपी / अपीलार्थी इस्लाम खां के द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाकर दुर्घटना कारित की गई, ऐसे में मामला साधारण रूप में नहीं लिया जा सकता और आरोपी / अपीलार्थी के उपेक्षापूर्ण किए गए उक्त कृत्य से एक व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है, तथा सडक दुर्घटना के बढते ग्राम और अकाल मृत्यु की बढती हुई संख्या देखते हुए ऐसे मामले में उदारता नहीं बरती जा सकती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृ० दलवीर सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा 2002 किमिनल लॉ जनरल एस0सी0 पेज-2283 में ऐसे मामलों में सदाचार की परवीक्षा पर न छोड़े जाने का मार्गदर्शन दिया है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-71 भा०द०वि० और धारा-220 दं०प्र०सं० के उपबंधों के तहत पूर्व से ही धारा—279 भा०द०वि० में प्रथक से कोइ दण्डाज्ञा अधिरोपित नहीं की है, और धारा–337 भा०द०वि० में छः माह के सश्रम कारावास सिहित 500 / –रूपए अर्थदण्ड एवं धारा–304 (ए) भा०द०वि० के अपराध के लिए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 / —रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है, जिसमें विचारण न्यायालय ने ही उदारता बरतते हुए, कारावास की दण्डाज्ञा अधिरोपित की है, ऐसे में दण्डाज्ञा के बिन्दु पर दाण्डिक अपील स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि प्रदत्त दण्डाज्ञा कठोर श्रेणी की नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उक्त अपराध में दो वर्ष तक की सश्रम कारावास की दण्डाज्ञा दी जा सकती है, इसलिए दण्डाज्ञा के बिन्दू पर भी प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन पाई जाती है।
- 28. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा—337 एवं 304(ए) भा0द0वि० में कारावास की सजाएं अर्थदण्ड के साथ अधिरोपित की हैं, किंतु कारावास की सजाएं कमवार भुगताई जाएं या एक साथ भुगताई जाएं इस संबंध में स्पष्ट आदेश नहीं दिया है, जबिक इस बारे में स्पष्ट आदेश होना चाहिए था, जो कि तकनीकी त्रुटि की श्रेणी में आती है, अतः इस न्यायालय के मत में आरोपी/अपीलार्थी को प्रदत्त कारावास की दोनों साजाएं एक साथ भुगताई जाना उचित होगा, अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय में दण्डाज्ञा को स्पष्ट करते हुए निर्देशित किया जाता है, कि आरोपी/अपीलार्थी का सुपर सेशन वारंट तैयार किया जाए जिसकी दण्डाज्ञा को यथावत रखा जाता है किंतु कारावास की दोनों सजाएं एक साथ भुगताए जाने का आदेश करते हुए आलोच्य आदेश की कण्डिका 21 लगायत 23 को यथावत रखते हुए प्रस्तुत दाण्डिक अपील बाद विचार निरस्त की जाती है।
- 29. आरोपी / अपीलार्थी वर्तमान में दिनांक 09 / 12 / 16 से न्यायिक निरोध में है, अतः विचारण दौरान काटी गई न्यायिक निरोध की अवधि एवं अपील

स्तर पर दिनांक 09/12/16 से वर्तमान तक की अवधि धारा—428 दं0प्र0सं0 के तहत समयोजित करने बाबत धारा—428 दं0प्र0सं0 के नवीन प्रमाणपत्र तैयार किए जाए क्योंिक विचारण न्यायालय में जो धारा—428 दं0प्र0सं0 का प्रमाणपत्र सजा वारंट के साथ संलग्न किया गया है, उस प्रमाणपत्र में न्यायिक निरोध अवधि का कॉलम रिक्त है और पीठासीन अधिकारी के द्वारा रिक्त प्रमाणपत्र पर ही हस्ताक्षर कर दिए है, जिसे उचित नहीं माना जा सकता है, इसका भविष्य में ध्यान रखा जाए।

- 30. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस हो ।
- 31. आरोपी/अपीलार्थी को निर्णय की निःशुल्क प्रति अविलम्ब प्रदान की जावे।

दिनांकः 20/12/2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड

भार्य) (पी.सी. आर्य)
यायाधीश, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
एड गोहद जिला भिण्ड